| |
|---|
| दिनांक 02.04.2021 |
| प्रेस विज्ञप्ति 02/21 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**<u>जनपद शाहजहाँपुर/ थाना कोतवाली</u>**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **लगभग 18 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने, चाँदी के आभूषण बरामद**

दिनांक 01.04.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरेली मोड जलालाबाद रोड से चेकिंग के दौरान अभियुक्त सचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/ निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने, चाँदी के आभूषण (सोने के कंगन–4, सोने के मंगलसूत्र–1, सोने के गले का हार–4, सोने के चैन–4, सोने के कमर बन्द–1,सोने की अंगुठी–7, सोने के टप्स–14, चॉदी की 02 अॅगूठी, चॉदी के सिक्के–6, चैन के पैन्डल–2, सोने के लोंग–5, सोने के कुण्डल–2, चॉदी के प्लेट–2 ) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.03.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात . चोरो द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 156/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद जेवरात उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–सचिन कुमार निवासी मौजमपुर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

**बरामदगी**

01–चोरी के सोने, चाँदी के आभूषण (सोने के कंगन–4, सोने के मंगलसूत्र–1, सोने के गले का हार–4, सोने के चैन–4, सोने के कमर बन्द–1,सोने की अंगुठी–7, सोने के टप्स–14, चॉदी की 02 अॅगूठी, चॉदी के सिक्के–6, चैन के पैन्डल–2, सोने के लोंग–5, सोने के कुण्डल–2, चॉदी के प्लेट–2 )

**जनपद हरदोई /थाना पिहानी**

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**

दिनॉकः 02.04.2021 को थाना पिहानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा मोहम्मदी सब्जी मण्डी मोहल्ला बाजारगंज से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जय प्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिहानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–689/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पिहानी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तः–**

1– जय प्रकाश उर्फ जे0पी0निवासी मोहल्ला मुरीदखानी कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई।

## जनपद बिजनौर/थाना नांगल

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.04.2021 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नांगल क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त फुरकान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, सी0एस0एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मण्डावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0—46/2021 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नांगल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तः—**

1— फुरकान निवासी दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर।

**बरामदगीः—**

01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

## जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नईमण्डी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **27 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 05 जीवित 60 खोखा कारतूस विभिन्न बोर,**
- **36 अवैध नाल विभिन्न बोर,**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 01/02.04.2021 को थाना नईमण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रथेडी से मेघाखेड़ी के पास ईख के खेत से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर

रहे 06 अभियुक्तों 1—सुधीर उर्फ मकोडा 2—निशान्त 3—सुनील उर्फ बच्ची 4—जावेद 5—सागर उर्फ भूरा 6—विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 27 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 05 जीवित, 60 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 36 अवैध नाल विभिन्न बोर, भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नईमण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तः—**

1—सुधीर उर्फ मकोडा निवासी किनौनी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—निशान्त निवासी किनौनी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3—सुनील उर्फ बच्ची निवासी बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

4—जावेद निवासी मोहल्ला लद्दावाला थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

5—सागर उर्फ भूरा निवासी किनौनी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

6—विशाल निवासी छज्जू पट्टी रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

**बरामदगीः—**

1— 27 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 05 जीवित, 60 खोखा कारतूस विभिन्न बोर,

2—36 अवैध नाल विभिन्न बोर,

3—भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे आदि।

## जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस,**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 111 पेटी अवैध शराब,**
- **02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 01—04—2021 को थाना गजरौला, क्राइम ब्रान्च व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ब्रजघाट गंगापुल पर 03

अभियुक्तो 1—सुरेन्द्र उर्फ पप्पू 2—सतीश 3—अमर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 111 पेटी अवैध शराब, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 02 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1— सुरेन्द्र उर्फ पप्पू निवासी ग्राम चक रूस्तमपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

2—सतीश निवासी ग्राम बूपनिया थाना सदर बहादुरगढ़ जनपद झज्जर हरियाणा।

3—अमर निवासी मो0 खान कालोनी सेक्टर 12 थाना सदर जनपद सोनीपत हरियाणा।

**बरामदगी**

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 111 पेटी अवैध शराब।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

3—02 चार पहिया वाहन ।

## जनपद सिद्धार्थनगर/थाना कोतवाली बांसी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **11 अवैध लोहे का नाल, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि**
- **01 सोने की चैन, 01 मोबाइल फोन, 1700 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2021 को थाना कोतवाली बांसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साडीकला से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा शातिर अभियुक्त अमरजीत सिंह उर्फ अरविन्द उर्फ लाला उर्फ नट को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 11 अवैध लोहे का नाल, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि, 01 सोने की चैन, 01 मोबाइल फोन, 1700 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सिद्धार्थनगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद सिद्धार्थनगर एवं कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट आदि के तीन दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बांसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अमरजीत सिंह उर्फ अरविन्द उर्फ लाला उर्फ नट निवासी कलनाखोर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

**बरामदगी**

1–05 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–11 अवैध लोहे का नाल।

3–03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

5–01 सोने की चैन।

6–01 मोबाइल फोन।

7–1700 रूपये नगद।

8–01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद हापुड/थाना हापुड नगर**

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **07 लाख 70 हजार 800 रूपये के नकली नोट,**
- **चोरी के 18 मोबाइल फोन,**
- **01 कम्प्यूटर मय सीपीयू, कलर प्रिन्टर,**
- **08 हजार 400 रूपये नगद,**
- **08 फर्जी आधार कार्ड,**
- **03 फर्जी पहचान पत्र**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल,**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 14 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.04.2021 को थाना हापुड नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुलन्दशहर रोड चितौली से नकली नोट छापने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1—शमीम 2—ललित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 लाख 70 हजार 800 रूपये के नकली नोट,चोरी के 18 मोबाइल फोन, 03 फर्जी पहचान पत्र, 08 फर्जी आधार कार्ड, 01 कम्प्यूटर मय सीपीयू, कलर प्रिन्टर, 08 हजार 400 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 14 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त शमीम के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, हापुड आदि के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्त शमीम थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर के अभियोग में वॉछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>**

1–शमीम निवासी फतेहपुर नोआबाद उर्फ बक्शी वाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2–ललित निवासी साठा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

**<u>बरामदगी</u>** :–

1–07 लाख 70 हजार 800 रूपये के नकली नोट।

2–चोरी के 18 मोबाइल फोन।

3–01 कम्प्यूटर मय सीपीयू।

4–कलर प्रिन्टर।

5–03 फर्जी पहचान पत्र।

6–08 फर्जी आधार कार्ड।

7–08 हजार 400 रूपये नगद।

8–चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 14 जीवित कारतूस आदि।

**<u>जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को डबल आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रू0 का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304/34 भादवि व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट में विचारण के उपरान्त अभियुक्त संजय को डबल आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रू0 का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद सीतापुर द्वारा थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376(2)(i)/452 भादवि व 3(1)(XII) एससी/एसटी एक्ट में विचारण के उपरान्त अभियुक्त विनोद को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———